यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए **कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून के माह 04/2013 से11/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक, श्री रवि शंकर एवं श्री अजय बहुगुणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.12.2020 से 14.12.2020 तक श्री दानिश इकबाल,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी केपूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 11/2020तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-**
   इकाई द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए रक्षा उपाय,महिलाओं का संरक्षण करना,उत्पीड़न से बचाव इत्यादि।
   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्रसम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।
   (ii) (अ) विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः
   (धनराशि रूलाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रा0 अवशेष	आवंटन	व्यय	अवशेष	बचत /समर्पण
2016-17	-	162.30	106.00	56.30	56.30
2017-18	-	114.24	68.64	45.60	45.60
2018-19	-	128.15	57.55	70.60	70.60
2019-20	-	99.40	50.60	48.80	48.80
2020-21 (11/2020 तक)	-	69.90	35.98	33.92	33.92

(ब)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना एवं गैर-स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित न करते हुए इकाई 'सी' श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास बिभाग
2) अध्यक्ष
3) सदस्य सचिव

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादूनआच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।माह 03/2016, 03/2017, 03/2018 व 03/2019को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II `ब`

प्रस्तर 1:- उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में आर॰टी॰आई॰ के तहत प्राप्त रु॰ 6,681/- की धनराशि को राजकोष में जमा न करना

As per section 81 of (CHAPTER XI) of the Budget Manual of Uttarakhand Government dues to be assessed and realised regularly and promptly - Subject to any special arrangement that may be authorised by Government with respect to any particular class of receipts, it is the duty of the departmental Controlling Officers to see that all sums due to Government are regularly and promptly assessed, realised and duly credited into the Government account.

82. General instructions - The following instructions should be borne in mind: (i) It is essential that the departmental controlling officer's account should not be compiled from returns prepared by the treasury. But the treasury officer is in some cases required to verify returns for submission to departmental controlling officers. (ii) The amounts collected should at once be deposited into the treasury and in order to minimize chances of discrepancies between the treasury figures and the departmental figures, the challans with which money is remitted to or deposited into the treasury should bear full and correct classification of account and duly reconciled. (iii) The collections should on no account be utilised for meeting any expenditure.

83. Irrecoverable dues - No amount due to Government should be left outstanding without sufficient reason and without bringing the matter to the notice of the competent authority within a reasonable time. Where any dues appear to be irrecoverable, a full report must be submitted to the competent authority and orders sought. If it is found that any dues have become irrecoverable due to failure on the part of any Government servant to take timely action without sufficient reason, the official at fault may, after following the prescribed procedure, be called upon to make good the loss in such manner as the competent authority may deem fit.

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में आर॰टी॰आई॰ के अंतर्गत प्राप्त राजस्व की जांच में पाया गया की लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निम्नलिखित वर्षो में आयोग को आर॰टी॰आई॰ के तहत निम्नलिखित राजस्व की प्राप्ति आई॰पी॰ओ॰ (Indian Postal Order) एवं नगद राशि के द्वारा हुई थी जिस का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त धनराशि	कोशागार में जमा धनराशि
1	2013-14	अभिलेख उपलब्ध नहीं है	00
2	2014-15	420	00
3	2015-16	600	00
4	2016-17	1412	00
5	2017-18	2006	00
6	2018-19	406	00
7	2019-20	1462	00
8	2020-2021	375	00
	योग	6681	

जांच में पाया गया है कि आयोग द्वारा आर॰टी॰आई॰ के तहत प्राप्त राजस्व का वर्ष 2013-14 एवं उस से पूर्व वर्षो के अभिलेखो का रख रखाव नहीं किया गया था तथा वर्ष 2014-15 से नवम्बर 2020 तक आयोग को रु॰6,681/- की धनराशि पोस्टल ऑर्डर एवं नगदी के द्वारा प्राप्त हुई, परंतु आयोग द्वारा एक भी पोस्टल ऑर्डर को encash नहीं किया गया और न ही कोई धनराशि कोषागार में जमा की गयी ।

उत्तराखंड बजट नियमावली 2012 के अनुछेद 81 के अनुसार सरकार को देय कोई भी राशि को शीघ्र वसूली कर सरकारी खाते में जमा कर दी जानी चाहिए थी

उत्तराखंड बजट नियमावली 2012 के अनुछेद 82 के अनुसार अपरिवर्तनीय देय राशि (Irrecoverable dues) :- सरकार को देय कोई भी राशि बकाया नहीं छोड़ी जानी चाहिए बिना पर्याप्त कारण के और बिना सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में उचित समय के भीतर मामले को लाये हुए। जहां कोई भी बकाया प्रतीत होता है एक पूर्ण रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए और आदेश मांगे जाने चाहिए। अगर यह पाया जाता है कि सरकार को देय कोई भी राशि किसी भी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण अपरिवर्तनीय हो गया है, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जो भी अनुचित समझे, संबन्धित कर्मचारी से सरकारी नुकसान कि भरपाई करवा सकता है

आगे जांच में पाया गया है कि वर्ष 2014-15 से जून 2020 तक के जितने भी पोस्टल ऑर्डर आयोग के पास सुरक्षित रखे थे, उन की नकदीकरण की सीमा 06 माह के भीतर समाप्त होने के कारण रु॰6376/- के पोस्टल ऑर्डर मुद्रा विहीन हो चुके थे । (section 180-D (1)(i) & (ii) of Indian Post Office Rules 1933॰

इस प्रकार जांच में पाया गया है कि आयोग के कर्मचारियो की लापरवाही के कारण रु॰6376/- के पोस्टल ऑर्डर मुद्रा विहीन हो चुके थे तथा रु॰6,681/- की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं करवा गया, जिस के कारण सरकारी कोश रु॰6,681/- के लाभ से वंचित रहा ।

संप्रेक्षा मे इंगित किए जाने पर आयोग नेतथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि वर्ष 2013-14 के पोस्टल ऑर्डर और संबन्धित अभिलेख निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के पास होंगे क्योंकि उसके पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकार निदेशालय मे निहित था, अंहया धनराशि व पोस्टल ऑर्डर विभागीय प्राप्ति शीर्ष मे जमा नहीं होने के सम्बंध मे विभागीय जांच बैठा कर संबन्धित कर्मचारी से वसूली का कोषागार मे जमा कराकर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। आयोग का उत्तर स्वतः लेरखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है अतएव उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में आर॰टी॰आई॰ के तहत प्राप्त रु॰6,681/- की धनराशि को राजकोष में जमा न करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग II `ब`

प्रस्तर 2:- राज्य महिला आयोग उत्तराखंड देहरादून मे विधि द्वारा निर्धारित महिला आयोग हेतु सदस्यों की नियुक्ति नहीं किया जाना तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति मे अधिनयम मे निहित प्राविधानों का अनुपालन न किया जाना तथा अन्य पदों के रिक्त रहने और योजनाओ मे धनावंटन न होने के कारण आयोग के कार्य पर दुष्प्रभाव।

उत्तराखण्ड राज्य मे महिला उत्पीड़न पर रोक लगाने, महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके सशक्तिकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन 09 अक्टूबर 2003 मे किया गया था तथा भारत के सविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा पारित उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग विधयेक 2005 पर दिनांक 09 नवम्बर 2005 को अनुमति प्रदान किया था। उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग मूल कार्य समाज मे बालिकाओं तथा महिलाओं की स्थिति मे सुधार लाने तथा उनकेविरुद्ध अन्याय एवं सामाजिक कूरितियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न परक्रियाओं, पददतियों व तंत्रों को गतिशील बनाना व राज्य मे महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास हेतु सार्थक वातावरण तैयार करना है, तथा किशोरियों एवं महिलाओ उत्पीड़न से संबन्धित प्राप्त शिकायतों का निवारण करना है।इस कार्य के निष्पादन के लिए आयोग को अधिकार था कि वो कार्य योजना तैयार करे आवश्यकतानुसार धन की मांग करे। अधिनियम मे निहित प्रविधानों के अनुसार आयोग विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत है जिसके बिन्दु संख्या `ग` के अनुसार आयोग को महिलाओ की दशा सुधारने के लिए रक्षापायों के प्रभावित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सिफ़ारिश करना था और बिन्दु संख्या `ठ` के अनुसार बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नो से संबन्धित मुकदमो के लिए धन उपलब्ध करना था।प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत आयोग हेतु निश्चित योग्यता एवं शिक्षा प्राप्त महिलाओं को ही आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर तैनात किया जाना था।आयोग हेतु एक अध्यक्ष दो उपाध्यक्ष तथा 18 सदस्यों का पद सृजित किया गया है जो प्रतेयक जनपद से कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए,जिसका चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक का होगा। कार्यालयीय कार्यों के निष्पादन हेतु कुल 11 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमे सदस्य सचिव एवं सहायक लेखाकार का पद प्रतिनियुक्ति के आधार तथा शेष पद संविदा के आधार पर भरा जाना था।

उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालयीय कार्यों के लिए स्वीकृत 11 पदों के सापेक्ष 08 पदों पर तैनाती थी तथा 03 पद, परामर्शदाता, सहायक लेखाकर एवं कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त था। आयोग हेतु 02 उपाध्यक्ष के स्थान पर 03 उपाध्यक्ष तथा विगत वर्ष तक 18 सदस्यों के स्थान पर मात्र 08 सदस्यों को नामित/तैनात थे,55,55%सदस्यों का पद रिक्त था। वर्तमान समय मे सदस्यों के समस्त पद 100% पद रिक्त था। सदस्य सचिव के पद पर जिला कार्यक्रम अधिकारी की तैनाती थी। तीसरे उपाध्यक्ष की तैनाती होने के कारण उनको दिया जाना वाला वेतन एवं भत्ता का व्यय अधिनियम मे निहित प्राविधानों के विरुद्ध था। महिला आयोग एवं शासन को अधिनियम मे निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया था। बिन्दु संख्या `ग` के अनुसार आयोग को महिलाओ की दशा सुधारने के लिए रक्षापायों के प्रभावित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन के माध्यम से सिफ़ारिश करना था परंतु ऐसा कोई अभिलेख इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता कि आयोग द्वारा राज्य सरकार को कोई कार्य योजना प्रेषित की गयी हो और महिलाओं के उत्थान के लिए कोई प्रतिवेदन के माध्यम से सिफ़ारिश की गयी हो। अधिनियम के बिन्दु संख्या `ठ` के अनुसार बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने

वाले प्रश्नो से संबन्धित मुकदमो के लिए धन उपलब्ध करना था, आयोग को केवल वेतन भत्ते एवं कार्यालयीय व्यय हेतु धनराशि आवंटित हो रही थी जिससे प्रमाणित होता है कि आयोग द्वारा किसी बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नो से संबन्धित मुकदमो के लिए धन उपलब्ध कराया गया हो। जांच मे यह भी पाया गया कि विगत चार वर्षो मे आयोग को 5589 शिकायते प्राप्त हुईं जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा 930 प्रकरणो का निस्तारण तथा जांच के माध्यम से 3703 प्रकरणो का निस्तारण किया गया था और 956 प्रकरण संप्रेक्षा तिथि तक अनिस्तारित थे। वर्षवार विवरण निमन्वत था-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त शिकायत	काउन्सलिन्ग के माध्यम से निस्तारण	जांच के माध्यम से निस्तारण	निस्तारण हेतु शेष
2017-18	00	1503	267	1201	35
2018-19	35	1474	271	1161	77
2019-20	77	1455	366	990	176
2020-21 (11/202)	176	1157	26	351	956
		5589	930	3703	956

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सदस्यों की की तैनाती के आभाव मे एवं राज्य महिला आयोग के निर्धारित कर्तव्यों के वहन हेतु संबन्धित मदों मे धनराशि आवंटित नहीं होने के कारण आयोग अपने कर्तव्यों पूर्ण रूप से निष्पादित करने सफल नहीं रहा तथा 35 परकरण तीन वर्षो से अधिक समय से 77 प्रकरण दो वर्ष एवं 176 प्रकरण एक वर्ष से अधिक समय से निस्तारण हेतु लंबित था।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर आयोग ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा अधिनियम के विरुद्ध तीसरे उपाध्यक्ष की तैनाती होने एवं सदस्यों की तैनाती न होने और सदस्य सचिव पद पर जिला कार्यक्रम अधिकारी की तैनाती के सम्बंध मे अवगत कराया कि उक्त पदों पर तैनाती शासन द्वारा होती है खाली पदों पर तैनाती के लिए आयोग द्वारा शासन को पत्र प्रेषित नहीं किया जाता, साथ ही यह भी अवगत कराया कि प्रतिवर्ष शिकायतों की संख्या मे वृद्धि हो रही है उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण कार्यों के सम्पादन मे कठिनाई हो रही है। अतएव राज्य महिला आयोग उत्तराखंड देहरादून मे विधि द्वारा निर्धारित महिला आयोग हेतु सदस्यों की नियुक्ति नहीं किया जाना तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति मे अधिनयम मे निहित प्राविधानों का अनुपालन न किया जाना तथा अन्य पदों के रिक्त रहने और योजनाओ मे धनावंटन न होने के कारण आयोग के कार्य पर दुष्प्रभाव का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**
------इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा------		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभियुक्ति**
---------शून्य --------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालयसदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख:

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	श्रीमती आशा रानी ध्यानी	सदस्य सचिव	12.04.2013 से 22.07.2013
2.	श्रीमती सुजाता		23.07.2013 से 20.07.2016
3.	सुश्री रमिन्द्रि मन्द्रवाल		21.07.2106 से 03.07.2018
4.	श्रीमती कामिनी गुप्ता		04.07.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालयसदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ए०एम०जी०-I, कार्यालय **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I